

प्रेषक,

डॉ० रजनीश दुबे,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में

महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-२

दिव्यय:- राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस० / स्नातकोत्तर / पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त दिव्ययक अपने पत्र संख्या-एम०ई०-३/२०१७/४५७ दिनांक २२.०६.२०१७ का कृपया सन्दर्भ घटण करने का कष्ट करे।

२- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस० / स्नातकोत्तर / पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् नीति निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।-

१. प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम०बी०बी०एस०) / बी०डी०एस० / स्नातकोत्तर / पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित एग्रीमेन्ट बाण्ड (प्रारूप सलग्न) भरवाने के सम्बन्ध में तालिका में उल्लिखित दिवरणानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

क्र०	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
१	स्नातक (एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस०)	०२ वर्ष	रु० 10.०० लाख	महानगरों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी०जी० जे०आर० के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्र में सविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।
२	स्नातकोत्तर (एम०डी० / एम०एस० / एम०डी०एस० / पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	०२ वर्ष	रु० 40.०० लाख (डिग्री हेतु) रु० 20.०० लाख (पी०जी० डिप्लोमा / एम०डी०एस० हेतु)	महानगरों को छोड़कर राजकीय मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजीडेण्ट अध्यवा सविदा प्रवक्ता तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित महानगरों को छोड़कर जिला चिकित्सालयों अध्यवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सविदा विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।

3	सुपर स्पेशियलिटी (पी० एस०/ एस०सी०एस०)	02 वर्ष	₹० 100.०० लाख	राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थानों/ विकित्सा विश्वविद्यालयों आदि सरकार की वित्ती अधिकारीय संस्थान विकित्सा विद्यालयों में सविदा प्रशक्ता अथवा सविदा सुपर स्पेशियलिटी विभाग विकित्सक के रूप में।
---	---	---------	------------------	--

2. उक्त बाण्ड विभागित राती एवं प्रतिवर्षी की अधीन निष्पादित की जायेगी—

- बाण्ड से विचलन की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी (पी० एस० एस० एस० संवर्ग के एस० बी० बी० एस० डिरीचारी विकित्साविकारियों को छोड़कर) को बाण्ड की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी। बाण्ड की धनराशि सम्बन्धित विकित्सा भवाविद्यालय/ संस्थान/ विश्वविद्यालय स्तर पर समस्त औपचारिकतावै पूर्ण करते हुए प्रधानाधार्य/ निदेशक/ कुलसंचिव के माध्यम से महानिदेशक विकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० द्वारा राजकीय कोषागार में जमा करायी जायेगी।
- बाण्ड से विचलन की दशा में यदि कोई अभ्यर्थी बाण्ड की धनराशि जमा नहीं करता, तो इसकी वसूली भू राजस्व की भाँति की जायेगी।
- ऐसे विकित्सकों (एस० बी० बी० एस०/ बी० डी० एस०/ स्नातकोत्तर डिग्री धारक/ पी० जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम/ एस० डी० एस०) को वहीं परिलक्षियों तथा नासिक मानदेश प्रदान किए जायेंगे जैसा कि यथास्थिति नान पी० जी० जूनियर रेजीडेंट/ सीनियर रेजीडेंट अथवा वाक—इन इन्टरव्यू के माध्यम से प्राप्त सविदा विकित्सकों को किए जाते हैं।
- सुपर स्पेशियलिटी विकित्सकों को सविदा के आधार पर नासिक मानदेश तथा परिलक्षियों निर्धारित करने की कार्यवाही नियमानुसार पृथक से की जायेगी।
- बाण्ड भरे जाने से किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय सेवा अथवा राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थानों/ विकित्सा विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से सेवायोजित किए जाने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। शासन द्वारा यथावश्यक उपलब्ध रिक्तियों के सामेश ही उनको निर्धारित अवधि तक के लिए ही सेवायोजित किया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थी के सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने की तिथि से अधिकतम 03 माह की अवधि तक सम्बन्धित अभ्यर्थी को सेवायोजित न किए जाने की दशा में उनका बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा। यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी उत्पातर पाठ्यक्रम हेतु नियमानुसार वयनित हो जाता है तो तदनुसार उसके द्वारा किए गये अनुरोध के क्रम में बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा।
- अभ्यर्थी को आवश्यक मानदेश तथा परिलक्षियों का भुगतान सम्बन्धित विभाग, विकित्सा शिक्षा विभाग या विकित्सा एवं रवास्था विभाग, जहाँ अभ्यर्थी सेवायोजित होगा, के द्वारा किया जायेगा।

8. प्रस्तावित द्विपक्षीय बाण्ड में हितीय पक्ष श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से एपीमेण्ट बाण्ड पर हस्ताक्षर करने हेतु सम्बन्धित संस्थान/मेडिकल कालेज/यूनिवर्सिटी के सक्षम अधिकारी को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नामित किया जायेगा।

3- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपलान सुनिश्चित किया जाय।

सलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(डा० रजनीश दुबे)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-950(1) / 71-2-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
6. कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
7. निदेशक, एस०जी०पी०जी०आ०, लखनऊ।
8. निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
9. निदेशक, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
10. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
11. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र० (द्वारा महानिदेशक, चिऽशि० एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ)।
12. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र० (द्वारा महानिदेशक, चिऽशि० एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ)।
13. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 एवं 4।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)  
उप सचिव।